::आदेश::

गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या: 40–3/2020 दिनांक 01.05.2020 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 116/USDMA-792(2020) दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में लॉक डाउन अवधि दिनांक 17.05.2020 तक जनपद देहरादून के अन्तर्गत निम्नवत दुकानों/सेवाओं के प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी :–

दुकाने जो प्रतिदिन खुलेगी	दुकाने जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुलेगी	दुकाने जो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार खुलेगी
डिपार्टमेंटल/ ड्राई फ्रूट/किराना स्टोर	खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकानें	हार्डवेयर, सैनेटरी एवं ग्लास वेयर तथा पेन्ट स्टोर
पेट्रोल/डीजल पम्प	कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें	मार्बल, टाइल्स स्टोर एवं बिल्डिग मटीरियल्स
पशु आहार एवं भूसा स्टोर		वैल्डिग एवं फैब्रिकेटिंग की दुकानें
सभी प्रकार के निजी कार्यालय	दर्जी की दुकान	सीमेन्ट एवं आईरन स्टोर
एल.पी.जी. गैस एजेंसीज		आभूषण की दुकानें
लैब एवं रासायनिक उपकरण	चश्में की दुकानें	जनरल स्टोर
कन्फैक्सनर्स और बेकर्स (बिना रैस्टोरेन्ट के)	कम्प्यूटर/लैपटॉप, मोबाइल तथा टी.वी. की दुकानें (सम्बन्धित उपकरणो/मरम्मत सहित)	इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रानिक स्टोर (मरम्मत की दुकानें सहित)
किताबें एवं स्टेशनरी की दुकानें		बर्तनों की दुकानें
दुग्ध एंव दुग्ध से बने उत्पाद (डेरी)	टैक्सी सर्विस (दुकानें बन्द रहेगी किन्तु फोन से बुकिंग की जा सकती है)	औद्योगिक इकाईयों से सम्बन्धित मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस की दुकानें
मीट की दुकानें (केवल वैध लाईसेन्स धारक)		मिठाई की दुकान (बिना रेस्टोरेन्ट के)
कृषि एवं कृषि उपकरणों से सम्बन्धित दुकाने (खाद, बीज, कीटनाशक रसायन सहित) बारदाने की दुकानें	रेडीमेड गारमेन्ट/होजरी मर्चेट शॉप	ऑटो मोबाइल स्टोर, सर्विस स्टेशन/वर्कशॉप, स्पेयर पार्टस स्टोर, कार ऐसेसिरीज स्टोर
	जूते बनाने वाले एवं मरम्मत की दुकानें	
	खिलौने एवं गिफ्ट की दुकान	
	घड़ी की दुकान	फूलों की दुकान
फल/सब्जी मण्डी एवं फल/सब्जी की दुकानें	खेल के सामान की दुकान	फोटोग्राफी की दुकान
	फर्नीचर की दुकान	
दवांईयों की थोक एवं फुटकर दुकानें (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी दवांईयों एवं सर्जिकल उपकरणो की दुकानो सहित) एवं पशुओं की दवाईयों की दुकानें।	बैकेज/सूटकेश स्टोर	
	काकरी स्टोर	

- तहसील चकराता, कालसी, त्यूनी एवं अन्य तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रो में सभी दुकाने पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक खुली रहेगी।
- सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पंचकर्म, जिम एवं क्लब, ड्राई क्लीनर की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगी।
- चार पहिया वाहन में चालक सहित 03 लोगो को ही अनुमति होगी।
- दो पहिया वाहन में केवल 01 ही व्यक्ति को अनुमति होगी।
- नगर निगम, देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट के भट्टे के संचालन की अनुमति होगी।
- सभी सार्वजनिक (बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, विक्रम इत्यादि) वाहनो की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी।
- पूर्व में निर्गत पास लॉक डाउन अवधि दिनांक 17.05.2020 तक मान्य होंगे।
- दुकानों/निजी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में ए.सी. का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेगे।

Scanned with CamScanner

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 01.05.2020 के दिशा– निर्देशो में उल्लिखित अनुमति के अतिरिक्त होटल एवं आतिथ्य सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध यथावत रहेगा।
- सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एंव ऑडोटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णतः बन्द रहेगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यो पर प्रतिबन्ध यथावत रहेगा।
- सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेगे। धार्मिक समारोह पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।
- यदि कोई ट्रेड जो प्रतिबन्धित नहीं है और उपर्युक्त सूची से छूट गया है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को सूचना कर सकते है।
- अपरान्ह 04 बजे से अगले दिवस प्रातः 07 बजे तक पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्तिच किया जायेगा।

<u>नोटः–</u> नगर निगम, देहरादून तथा नगर निगम, ऋषिकेश के क्षेत्रान्तर्गत कन्टेनगेंट जोन–भगत सिंह कॉलोनी, आजाद नगर कॉलोनी, चमन विहार गली न0–11, मुस्लिम कॉलोनी, डोईवाला के झबरावाला, केशवपुरी बस्ती तथा ऋषिकेश के बीस बीघा कॉलोनी गली न0 3, शिवा एन्कलेव वार्ड न0 24, आवास विकास कॉलोनी वार्ड न0 25 के लिए पूर्व में जारी प्रतिबन्ध यथावत बने रहेगे अर्थात उपर्युक्त दुकानों एवं सेवाओं के संचालन की अनुगति कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के निर्गत दिशा–निर्देश जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता बनाये रखने सम्बन्धी निर्देशो का अनुपालन व सार्वजनिक स्थानो पर थूकना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है, का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाये जाने के प्रति सम्बन्धित दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी उत्तरदायी होंगे। उल्लंघन की स्थिति मे आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व **Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897** एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, देहरादून।

<u>कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।</u>

संख्या :2281 /सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 03 , अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
5– उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6– मुख्य विकास अधिकारी, समस्त अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून।
7– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
8– सहायक श्रमायुक्त, जिला पूर्ति अधिकारी, सचिव–मण्डी समिति, जनपद–देहरादून।
9–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समाचार पत्रो में निशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned with CamScanner